रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07112022-240079
CG-DL-W-07112022-240079

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 40] नई दिल्ली, अक्तूबर 30—नवम्बर 5, 2022, शनिवार/ कार्तिक 8—कार्तिक 14, 1944
No. 40] NEW DELHI, OCTOBER 30—NOVEMBER 5, 2022, SATURDAY/KARTIKA 8— KARTIKA 14, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2022

सा.का.नि. 159.—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल उप निरीक्षक (आशुलिपिक), निरीक्षक (आशुलिपिक) और सूबेदार मेजर (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2009 को, जहां तक उनका संबंध उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और निरीक्षक (आशुलिपिक) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और निरीक्षक (आशुलिपिक) के पदों की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (योद्धक आशुलिपिक काडर) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **लागू होना**:- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता**- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**-जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.उप निरीक्षक (आशुलिपिक)	*193 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35,400-1,12,400 रुपए)	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(9)	(10)
2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- चिकित्सा प्रवर्ग शेप 1 के अध्यधीन रहते हुए, वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 5 (29,200-92,300 रुपए) में ऐसे सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) जिन्होंने छह वर्ष की नियमित सेवा की है और महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा यथा अवधारित प्रोन्नत्यात्मक पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पूरा किया होना चाहिए। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक सेवा के आधे से अधिक या 2 वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठनों के योद्धक	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):-** 1. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. दो कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

अनुसचिवीय कर्मचारियों में से जो धारण किए हैं:- (i) नियमित आधार पर सदृश पद; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर -5 (29,200-92,300 रुपए) में आशुलिपिक (हिंदी/अंग्रेजी) का पद धारण किए हो या समतुल्य स्तर में छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ । **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. निरीक्षक (आशुलिपिक)	*139(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर -7 (44,900-1,42,400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
चिकित्सा प्रवर्ग शेप 1 के अध्यधीन रहते हुए, वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे उप निरीक्षक (आशुलिपिक) जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा यथा अवधारित प्रोन्नत्यात्मक पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पूरा किया होना चाहिए। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक सेवा के आधे से अधिक या 2 वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय /राज्य/संघराज्य क्षेत्र पुलिस संगठनों के योद्धक अनुसचिवीय कर्मचारियों में से जो धारण किए हैं:- (i) नियमित आधार पर सदृश पद; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-6, (35,400-1,12,400 रुपए) में आशुलिपिक (हिंदी/अंग्रेजी) का पद धारण किए हो या समतुल्य स्तर में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए): -** 1. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. दो कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. आर.नौ. 1/2021-मंत्रा.-डीए-3]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 31st October, 2022

G.S.R. 159.— In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), and in supersession of the Central Reserve Police Force Sub-Inspector (Stenographer), Inspector (Stenographer) and Subedar Major (Stenographer) Recruitment Rules, 2009 in so far as it relates to the post of Sub-Inspector (Stenographer) and Inspector (Stenographer) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Sub-Inspector (Stenographer) and Inspector (Stenographer) in the Central Reserve Police Force, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force (Combatised Stenographer Cadre), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**- No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sub-Inspector (Stenographer).	193* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted (Ministerial).	Pay level 6 Rs. 35400 -112400 in the pay matrix.	Selection

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Sub-Inspector (Stenographer) with six years of regular service in the Pay level 5 Rs. 29200-92300 in the pay matrix subject to medical category SHAPE-I and should have undergone promotional course or training as determined by the Director General, Central Reserve Police Force. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying service. **Deputation:** From amongst combatised Ministerial staff of Central/State or Union territory Police organisations holding:	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :-** 1. Dy. Inspector General, Central Reserve Police Force -Chairman; 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force -Members.	Not Applicable.

(i) analogous post on a regular basis; or (ii) holding post of Stenographer (Hindi/English) in Pay level-5 Rs.29200-92300 in the pay matrix or equivalent with six years regular service in the level. **Note 1** : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2** : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3** : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)
2. Inspector (Stenographer)	139* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted (Ministerial).

(4)	(5)	(6)	(7)
Pay level 7 Rs. 44900 -142400 in the pay matrix.	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Sub-Inspector (Stenographer) with five years regular service in the Pay level 6 Rs.35,400-1,12,400/- in the pay matrix subject to medical category SHAPE-1 and should have undergone promotional course or training as determined by the Director General, Central Reserve Police Force.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Promotion)** 1. Dy. Inspector General, Central Reserve Police Force - Chairman; 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force -Members.	Not Applicable.

Note: Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying service. **Deputation:** From amongst combatised Ministerial staff of Central/State or Union territory Police organisations holding: (i) analogous post on a regular basis; or (ii) holding post of Stenographer (Hindi/English) in Pay level 6 Rs.35,400-1,12,400 in the pay matrix or equivalent with five years regular service in the level. **Note 1 :** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2 :** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. R.IX.1/2021-Min-DA-3]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (PERS-II)